भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1238
28.06.2019 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट

1238. एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ई-अपशिष्ट के बढ़ते खतरों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाए किए गए हैं;
(ग) क्या देश के वार्षिक ई-अपशिष्ट उत्पादन संबंधी आंकड़े संग्रह किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार देश में ई-अपशिष्ट के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ई-अपशिष्ट के आयात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) देश के आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपस्करों की उच्च अप्रचलन दर के साथ प्रौद्योगिकीय नवाचारों के परिणामस्वरूप ई-अपशिष्ट के उत्सर्जन की दर में वृद्धि हुई है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले ई-अपशिष्ट का, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से प्रसंस्करण किए बिना निपटान करने से मानव स्वास्थ्य तथा मृदा और भू-जल सहित पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। ई-अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्च, 2018 में इसमें और अधिक संशोधन किए हैं। इन नियमों के उपबंधों में उत्पादक के दायित्व का विस्तारण करना, ई-अपशिष्ट के एकत्रण और पुनर्चक्रण को सुगम बनाने के लिए उत्पादक के उत्तरदायित्व संबंधी संगठनों और ई-अपशिष्ट विनिमय केंद्रों की स्थापना करना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के सुरक्षित निपटान हेतु थोक उपभोक्ताओं को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपना तथा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के एकत्रण और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के उत्पादकों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने सहित अन्य उपाय करना शामिल है। इन नियमों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एकल प्राधिकार के माध्यम से भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना हेतु सरलीकृत अनुमति प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को ई-अपशिष्ट के भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं में लगे कामगारों के स्वास्थ्य की बेहतरी और उनकी सुरक्षा के लिए औद्योगिक कौशल विकास और उपाय सुनिश्चित करने हेतु ई-अपशिष्ट के भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्थल विनिर्दिष्ट करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

(ग) अब तक, देश में ई-अपशिष्ट उत्सर्जन संबंधी कोई व्यापक सूची तैयार नहीं की गई है। तथापि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2005 में देश में 1.47 लाख टन ई-अपशिष्ट उत्सर्जित होने का अनुमान लगाया था। यूनाइटेड नेशन्स युनिवर्सिटी की रिपोर्ट ''दी ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर 2017'' के अनुसार, वर्ष 2016 में देश में 20 लाख टन ई-अपशिष्ट उत्सर्जित होने की सूचना थी।

(घ) और (ड.) ई-अपशिष्ट सहित अपशिष्ट के आयात को खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार, देश में डम्पिंग अथवा निपटान करने के लिए अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं है। इस मंत्रालय ने उपरोक्त प्रयोजन के लिए देश में ई-अपशिष्ट का आयात करने हेतु कोई अनुमति प्रदान नहीं की है।

******